न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 115/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
ईदु खां पुत्र रसूल खां जाति मुसलमान लोहार निवासी कुरडाया तहसील मेडता जिला नागौर।		1इकबाल पुत्र शकूर खां 2जब्बार पुत्र शकूर खां 3रहमान पुत्र शकूर खां 4हकीम पुत्र शकूर खां 5अली मो. पुत्र रसूल खां 6पीरू खां पुत्र भोले खां (फौत) 6/1 जीवण खां पुत्र पीरू खां 6/2 बरकत अली पुत्र पीरू खां जातियान मुसलमान लोहार निवासीगण कुरडाया 6/3 अमीना बानो पुत्री पीरू खां पत्नी याकूब खां कौम मुसलमान निवासी केकिन्दडा तहसील जैतारण जिला पाली। 7अजीमुदीन पुत्र भोले खां जातियान मुसलमान लोहार निवासीगण कुरडाया तहसील मेडता जिला नागौर। 8ग्राम पंचायत कुरडाया जरिये सरपंच ग्राम कुरडाया तहसील मेडता।

उपस्थिति–

1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री निम्बाराम काला अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1 व 4 की ओर से।
3. श्री श्याम बारूपाल अधिवक्ता, अप्रार्थी 6/1 – 6/3 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 26.03.21

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुरडाया द्वारा मिसल सं. 58–1 वर्ष 1980–81 के द्वारा पटटा सं. 38 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 26.12.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 4 की ओर से श्री निम्बाराम काला अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं. 2, 3 तथा 5 से 8 बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे है। निगरानी के विचाराधीन रहते हुए अप्रार्थी सं. 6 पीरू खां फौत हो जाने से उसके कायम मुकामान को दिनांक 26.02.21 को रेकर्ड पर पक्षकार बनाया गया। जिनकी ओर से श्री श्याम बारूपाल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पटटा सं. 38 की फोटोप्रति, सूचना चाहने के लिये आवेदन की फोटोप्रति, पोस्टल ऑर्डर सं. 40F 772202 की फोटोप्रति, स्वीकृति दिनांक 25.9.17 की फोटोप्रति, रसीद दिनांक 20.9.17 की फोटोप्रति पेश की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)–अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कुरडाया द्वारा जारी पटटा दिनांक 20.2.81 अवैध एवं पूर्णत विधि विरूद्व ढंग से जारी किया गया होने से निरस्तनीय है।

2(2)– अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत कुरडाया द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से 4 के पिता शकूर खां के पक्ष मे उक्त पटटा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता व अन्य अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का नोटिस नही दिया न ही कोई आज्ञप्ति, विज्ञप्ति जारी की, न ही मौके पर आकर किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट तैयार की गई। सारी कार्यवाही ग्राम पंचायत मे बैठकर अपासी मिली भगत से करते हुए उक्त पटटा विलेख जारी किया गया है। जो पूर्णतया अवैध व विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

2(3)–वादग्रस्त जायगा बाबत ग्राम पंचायत द्वारा धारा 266 पंचायती राज अधिनियम 1961 के तहत उक्त पटटा जारी किया गया है। किन्तु उक्त पटटा जारी करने मे नियम 266 मे वर्णित प्रावधानो की बिल्कुल भी पालना नही की गई एवं अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से नियमो को ताक मे रखते हुए पटटा विलेख जारी कर दिया। जो पटटा निरस्तनीय है।

2(4)–ग्राम पंचायत कुरडाया द्वारा उक्त पटटा जारी करने बाबत मिसल सं. 58–1/1980–81 कायम किया जानपा बताया गया है। लेकिन इस प्रकार की कोई मिसल पंचायत द्वारा कायम नही की गई। न ही किसी प्रकार का

अपर कलक्टर, नागौर

प्रस्ताव लिया गया न ही किसी प्रकार की स्वीकृति जारी की गई। क्योकि उक्त मिसल बाबत निगरानीकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत नकले मांगी गई। किन्तु बावजूद आवेदन प्राप्ति के ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटा मिसल बाबत कोई नकले निगरानीकर्ता को नही दी गई। इससे स्पष्ट है कि बिना मिसल कायम किये नकले निगरानीकर्ता को नही दी गई। इससे स्पष्ट है कि बिना मिसल कायम किये अवैध रूप से उक्त पटटा जारी किया गया है। जो निरस्तनीय है।

2(5)–पटटे मे विवादित संपूर्ण जायगा निगरानीकर्ता व अप्रार्थी सं. 1 से 7 के पुश्तैनी के बडेरो की जायगा है। जिसमे अलग अलग रहवासी मकान बने हुए है। किन्तु पटटा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर आकर मौका निरीक्षण नही किया गया। क्योकि पटटे की पुश्त पर जो नक्शा अंकित किया गया है। उस पर कही भी मकान दर्शित नही किये गये है। द्वितीय मे उक्त जायगा अकेले शकूर खां की कभी नही रही, बल्कि उक्त जायगा भोले खां की थी। जिसमे उनके सभी वारिसान के अलग अलग मकाने बने हुए है। इस कारण अकेले शकूर खां के नाम से पटटा जारी करने का ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का विधिक अधिकार नही था। इस कारण भी ग्राम पंचायत कुरडाया द्वारा जारी पटटा निरस्तनीय है।

2(6)–ग्राम पंचायत कुरडाया द्वारा उक्त भूमि की रकम 355.11 रू. प्राप्त कर पटटा जारी किया गया है। जबकि उक्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की नही थी। इस कारण ग्राम पंचायत को उक्त भूमि विक्रय करने का अधिकार ही नही था। द्वितीय मे उक्त पटटा विलेख 100/– रू. से अधिक कीमत लेकर विक्रय किया गया है। इस कारण उक्त पटटे का रजिस्ट्रेशन भी कानूनन अनिवार्य था। किन्तु उक्त पटटे का किसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन नही करवाया गया। इस कारण भी उक्त पटटा विलेख निरस्तनीय है।

2(7)–ग्राम पंचायत कुरडाया द्वारा उक्त पटटा विलेख पंचायत अधिनियम के नियमो के विपरीत जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अवैध व विधि विरूद्व ढंग से अप्रार्थी सं. 1 से 4 के पिता शकूर खां के पक्ष मे जारी किया गया है। जो निरस्तनीय है।

3– वकील अप्रार्थी सं. 1 व 4 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि ग्राम पंचायत के पास पटटा जारी करने से संबंधित पटटा बुक उपलब्ध है। जिसमे से अप्रार्थी शकूर के नाम से जारी पटटा सं. 38 की फोटोप्रति भिजवायी गयी है। जिससे पटटा जारी करने की संपूर्ण कार्यवाही विधिवत होना ही प्रकट होता है। वर्तमान मे पंचायत के पास पटटे संबंधित पत्रावली नही मिलने का प्रश्न है। इस हेतु अप्रार्थी जिम्मेदार नही है। ग्राम पंचायत का रेकर्ड है तथा पंचायत के कार्मिक की निगरानी मे ही रहता है। पत्रावली नही मिलने की यह अवधारणा नही मानी जा सकती कि पत्रावली खोली ही नही गयी हो। प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी मीमो के पैरा सं. 4 मे मिसल सं. 58–1/1980–81 का अंकन किया है। जिससे भी मिसल खोले जाने की उनको जानकारी होना प्रकट करता हे। विवादित भूमि पर हमारे मकान बने हुए है तथा पटटा 40 वर्ष पहले जारी हुआ है। जिसको अब चेलेन्ज नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा मियाद हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया गया है। इसलिये निगरानी खारिज की जानी चाहिये।

4 – वकील अप्रार्थी सं. 6/1–6/3 ने बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि प्रार्थीगण / अप्रार्थीगण भोलू खां के वारिसान है। जिनकी पुश्तेनी जमीन जहां पर सभी पक्षकारो के अलग अलग मकान बने हुए है तथा रहवास कर रहे है। जबकि पटटा अप्रार्थी सं. 1 से 4 के पिता शकूर खां अकेले ने बनवा लिया है। पुश्तेनी कब्जासुद रहवासी भूमि के संपूर्ण भाग पर शकूर खां का कब्जा नही होते हुए भी पटटा जैर निगरानी जारी किया गया है। जो अवैध होने से निरस्तनीय है।

5– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया, जिसके अनुसार –

5(1)– प्रार्थी द्वारा पटटा सं. 38 अप्रार्थी 1 से 4 के पिता शकूर खां पुत्र भोले खां को दिनांक 20.02.81 जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

5(2)– अधीनस्थ ग्राम पंचायत से संबंधित पटटा रजिस्टर, प्रस्ताव पंजिका एवं इससे संबंधित अभिलेख मांगे जाने पर उनके द्वारा पत्र दिनांक 06.03.2018 के पटटा सं. 38 की फोटोप्रति भिजवायी गयी है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर व पत्रावली उपलब्ध नही होना बताया गया है। ऐसी स्थिति मे पत्रावली कायम की गई अथवा नही, कार्यवाही रजिस्टर के अभाव मे प्रस्ताव पारित किये जाने, वार्ड पंचो की कमेठी की रिपोर्ट, आया आपति विज्ञप्ति जारी की गई अथवा नही आदि के बारे मे विश्लेषण नही किया जा सकता है।

5(3)– प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 7 के पुश्तेनी बढेरो के स्वामित्व की भूमि होना बताते हुए आराजी भूमि मे दोनो पक्ष अपने सहूलियत के हिसाब से मौके पर मकान बनाकर निवासरत रहना बताया गया है। ऐसी स्थिति मे पटटा जैर निगरानी जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया हो तथा क्या स्थिति रही, ऐसे कोई तथ्य नही है। अप्रार्थी सं. 1 से 4 द्वारा भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण आराजी भूमि पर निवासरत न हो, इसको लेकर कोई खण्डन नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे आराजी भूमि पक्षकारो की पुश्तेनी भूमि होना प्रतीत होती है। जहां पटटा जारी करने से पूर्व काबिज / हितबद्व को भी पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिये था।

ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अपर कलक्टर, नागौर

6– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान मे रखते हुए मौके की स्थिति रिकार्ड पर लेवे तथा दोनो पक्षो को सुनवाई, सबूत आदि का अवसर देते हुए गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

7– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर